कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दक्षिण (सामान्य) वनमण्डल बैतूल, (म.प्र.)

पता – कालेज रोड, गांधीनगर वार्ड, बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) पिन : 460001

E-Mail : dfotsbetul@mp.gov.in Ph. & Fax No. 07141-234266

क्र0 / मा.चि. / 4208 बैतूल, दिनांक 5 / 08 / 2019

प्रति,

सहायक महाप्रबंधक (योजना)
दूर संचार बैतूल

विषय :– बैतूल एस.एस.ए. में नोफन प्रोजेक्ट फेस-II के तहत प्रभात–पट्टन ब्लॉक के वनक्षेत्र में वन विभाग की अनुमति विषयक। (**Proposal No. FP/MP/OFC/35877/2018**)

संदर्भ :– 1. आपका पत्र क्र. / W-1-1010/NOFN Ph-II/ पत्रा. / 18–19 दिनांक 26.09.2018, ऑनलाईन प्रस्ताव दिनांक 12.09.2018 प्राप्ती दिनांक 29.09.2018

2. कार्यालयीन पृ. पत्र क्र. / मा.चि. / 2694 दिनांक 08.05.2019
3. कार्यालयीन पत्र क्र. / मा.चि. / 615 दिनांक 04.02.2019
4. कार्यालयीन पत्र क्र. / मा.चि. / 3496 दिनांक 25.06.2019

— 0 —

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कार्यालयीन पत्र दिनांक 08.05.2019 के माध्यम से आपको बैतूल एस.एस.ए. में नोफन प्रोजेक्ट फेस-II के तहत प्रभात–पट्टन ब्लॉक के वनक्षेत्र में वन विभाग की अनुमति विषयक प्रकरण में आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में संलग्न मानचित्र में दर्शित आवेदित क्षेत्र एवं संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी आठनेर / मुलताई (सा.) के साथ आपके द्वारा संयुक्त रूप से सर्वेक्षण उपरांत प्रतिवेदित क्षेत्र में भिन्नता होने के कारण आपके विभागीय L-14 DIGRAM अनुसार प्रभात–पट्टन ब्लॉक अन्तर्गत आवेदित सम्पूर्ण प्रभावित वनक्षेत्र का संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी के साथ एक बार पुनः संयुक्त स्थल निरीक्षण कर पुनरीक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था। किन्तु 03 माह की अत्यधिक समयावधि समाप्त होने के उपरांत भी आपके द्वारा आज दिनांक तक परिक्षेत्राधिकारी आठनेर / मुलताई(सा.) से इस हेतु न तो सम्पर्क किया है और न ही कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। अतः वास्तविक वन प्रभावित क्षेत्र अनुसार प्रपत्र–ए, भाग–2 की पूर्ति हेतु प्रकरण की आपके द्वारा प्रस्तुत 04 प्रतियां मूलतः वापस की जाती है।

पूर्व में भी नोफन प्रोजेक्ट फेस-II के तहत् निम्नानुसार 02 प्रकरणों में वनमंडल स्तर से आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने उपरांत सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर शर्तो के पालन हेतु वचनपत्र चाहा गया था। जो आपसे आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अनु क्र.	प्रकरण क्रमांक	विकासखण्ड	सम्मिलित ग्राम	प्रदत्त सैद्धांतिक सहमति पत्र क्र. / दिनांक	वचनपत्र प्रस्तुतीकरण में विलम्ब अवधि
1	FP/MP/OFC/34509/2018	भीमपुर	सराड़–सिमोरी–डोक्या–चूनालोमा	615 दिनांक 04.02.2019	06 माह
2	FP/MP/OFC/35696/2018	भैसदेंही	डेड़पानी, लोकदरी, धार, माजरवानी, जूनापानी, धायवानी, मातका, मालेगांव, चिचढाना, धाबा, डेडवाकुण्ड, मालनी, पाटोली, पलासखेड़ी	3496 दिनांक 25.06.2019	01 माह 10 दिवस

इन प्रकरणों से संबंधित वांछित वचनपत्र / पालन प्रतिवेदन आपसे आज दिनांक तक अप्राप्त होने के कारण इन प्रकरणों में कार्य करने हेतु अंतिम औपचारिक स्वीकृति जारी किया जाना संभंव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रहित के इन प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में आपकी कोई रूचि नहीं है और न ही अनुमति की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, को अवगत कराया जाना आवश्यक होगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(अशोक कुमार)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

D:\DM\Draft sudhir\General\DM_Latter.docx

पृ.क्रमांक / मा.चि. /　　　　　　　　　　　　　　　　बैतूल, दिनांक　　/ 08 / 2019

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, ई–5, लिंक रोड़ न.–3, रविशंकर नगर भोपाल–462016 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) की ओर आपके पत्र क्र. / एफ–5 / विविध / 2018 / 10–11 / 3020 दिनांक 03.10.2018 एवं समसंख्यक पत्र क्र. / 327 दिनांक 01.02.2019 के परिपालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
3. मुख्य वनसंरक्षक बैतूल वृत्त, बैतूल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. जिला क्षेत्रीय महाप्रबंधक, बी.एस.एन.एल. काशी तालाब बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. उपवनमंडलाधिकारी मुलताई (सा.) एवं परिक्षेत्र अधिकारी मुलताई / आठनेर (सा.) की ओर कार्यालयीन पत्र क्र. / मा.चि. / 2693, 2694 दिनांक 08.05.2019 के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि संबंधित उपवनमंडल अधिकारी बी.एस.एन.एल., मुलताई द्वारा विषयांकित प्रकरण के संबंध में सम्पर्क करने पर तत्काल निर्देशानुसार प्रभात–पट्टन विकासखण्ड अन्तर्गत आने वाले सम्पूर्ण वन प्रभावित क्षेत्र का निर्देशानुसार पुनरीक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल